

प्रेस विज्ञापितथाना-तहबरपुरदुष्कर्म के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19/9/2020 को तहबरपुर थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 17/9/2020 को समय करीब 11.00 बजे दिन मे मेरी पुत्री खेत मे शौच के लिए गयी थी। वहां अभियुक्त अनूप पुत्र वृजमोहन ग्राम खाझेपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ आया तथा जबरदस्ती खेत मे खीचकर बलात्कार किया तथा इस घटना का वीडियो पिन्टु उर्फ आदर्श कुमार पुत्र विक्रम ग्राम कनैथा थाना सरायमीर, आजमगढ़ ने बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया। उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 62/20 धारा 376 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट व 67 BIT एक्ट पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्र0नि0 श्री देवानन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर वांछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ के कुशल निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व मे प्र0नि0 देवानन्द मय हमराहीयान का0 विनोद गुप्ता व का0 अमित कुमार के प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण अनूप व पिन्टु उर्फ आदर्श उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु उनके मिलने व ठहराव के संभावित स्थानों पर तलाश मे मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की उपरोक्त वांछित अभियुक्तगण सोफीपुर चौराहे पर मौजूद है तथा साधन पकड़ कर कही जाने की फिराक मे है यदि जल्दी किया जाये तो गिरफ्तार हो सकते है कि उक्त सूचना पर विश्वास कर मुखबिर खास को साथ लेकर सोफीपुर चौराहे की तरफ बढ़ा। मुखबिर खास दुर से ही अभियुक्तगण की तरफ इशारा कर हट बढ़ गया। जैसे ही पुलिस बल सोफीपुर चौराहे पर पहुंची तो अभियुक्तगण पुलिस को देखकर भागना चाह रहे थे की पुलिस बल द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से उनका नाम पता पुछा गया तो क्रमशः अनूप पुत्र वृजमोहन ग्राम खाझेपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष तथा पिन्टु उर्फ आदर्श कुमार पुत्र विक्रम नि0ग्राम कनैथा थाना सरायमीर, आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया। जामा तलाशी ली गयी तो पिन्टु उर्फ आदर्श कुमार उपरोक्त की पैंट की जेब से एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेडमी 6A बरामद हुआ। अभियुक्त पिन्टु उर्फ आदर्श कुमार से मोबाइल के बारे मे पुछने पर बताया गया कि इसी मोबाइल से वीडियो बना कर वायरल किया गया हू। अभियुक्तगण को उनके अपराध का बोध कराते हुए समय 6. 15 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0- 62/20 धारा 376 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट व 67 BIT एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनूप पुत्र वृजमोहन ग्राम खाझेपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष,
2. पिन्टु उर्फ आदर्श कुमार पुत्र विक्रम नि0ग्राम कनैथा थाना सरायमीर, आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

1- एक अदद रेडमी 6A एन्ड्रायड मोबाइल

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 देवानन्द थाना तहबरपुर मय हमराह, आजमगढ़

थाना-दीदारगंज

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दि0 सू0 -18.6.2020 समय 15.39 बजे दि0 घ0 – 17/18.6.2020 समय 3 बजे घटना स्थल- शंकर मन्दिर लीला पोखरा वहद ग्राम खेतापट्टी 2 km उ0प0 वादी – गंगादास महन्त शंकर मन्दिर लीला ग्राम खेतापट्टी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात। चोरी गया समान- घण्टा जिसका वजन 50 कि0ग्रा0 तथा टीका ,बाली सोने की तथा मुकुट चाँदी का लगभग आधा किलो ,एक लोटा ताँबा का तथा दान पत्र में रखा कुछ रुपया। प्रकाश मे आये अभियुक्त – 1. प्रकाश बनवासी पुत्र शोभई बनवासी 2. रामविलास उर्फ विलास बनवासी पुत्र ललसू बनवासी 3. गोविन्दा बनवासी पुत्र सुरज बली निवासीगण ग्राम डीह कैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वान्छित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन मे आज दि0 28.09.2020 को उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा मय हमराह का0 बृजेश कुमार यादव का0 प्रमोद कुमार यादव हो0गा0 सुरेश कुमार के क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 162/2020 धारा 457/380 भा0द0वि0 से सम्बन्धित मुल्जमान राजापुर बाजार मे साधन पकड़कर कहीं भागने की फिराक मे थे कि मुखबिर के निशादेही पर अभियुक्तगण 1. रामविलास उर्फ विलास बनवारी पुत्र ललसू बनवासी 2.गोविन्दा बनवासी पुत्र सुरज बनवासी सा0 रसूलपुर डीहकैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को समय 07.50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया जिनकी निशादेही पर डीह बाबा मंदिर के पास धान की खेत से एक अदद एम्पलीफायर बरंग काला व 05 अदद पीतल का घण्टा व एक अदद लोहे का सब्बल व नकद 315 रुपया बरामद हुआ। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामविलास उर्फ विलास बनवारी पुत्र ललसू बनवासी 2.गोविन्दा बनवासी पुत्र सुरज बनवासी सा0 रसूलपुर डीहकैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि अपनी सफाई मा0 न्यायालय मे देगे।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 162/2020 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. रामविलास उर्फ विलास बनवारी पुत्र ललसू बनवासी सा0 डीहकैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2.गोविन्दा बनवासी पुत्र सुरज बनवासी सा0 डीहकैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी –

1- एक अदद एम्पलीफायर व 5 अदद पीतल का घण्टा व एक अदद लोहे का सब्बल व नकद 315 रुपया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना-निजामाबाद

14 अदद नाजायज देशी शराब की शीशी के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध व कच्ची शराब की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के कुशल नेतृत्व में उ 0नि0 श्री मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि अल्लीपुर बाजार में पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके मै उ 0नि0 मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुंच कर चेकिंग किया जा रहा था कि सेमरा के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम सरवर पुत्र अनवर सा 0 सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक झोले में 14 शीशी देशी शराब नाजायज बरामद किया गया। जिसको समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

थाना- कप्तानगंज

चोरी के आभूषण (लगभग 25 हजार रुपये) के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अबैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार होने के उपरान्त थाना स्थानीय पर अभियुक्त सिरताज उर्फ पदानू पुत्र मो0 इस्लाम निवासी कोइनहा बाजार बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 97/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान में आज दिनांक 28.09.2020 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 बाँक बहादुर सिंहमय हमराहीयान के द्वाराथाने पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 161/20 धारा 457/382/411 भादवि थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये** अभियुक्तों को मुखबिर सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ किया गया तो अपनेजुर्म को स्वीकार करते हुए गलती की बार बार माफी माँग रहे हैं तथा सफाई न्यायलय मे अपने वकील के अनुसार देना बता रहे हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 161/2020 धारा 457/382 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजकमल उर्फ सतीश पुत्र सीताराम ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़,

2.सिरताज उर्फ पदानू पुत्र मो0 इस्लाम निवासी कोइनहा बाजार बड़सरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- दो जोड़ी पायल, एक अदद मंगल सूत्र पीली धातु, दो जोड़ी कान की झाली पीली धातु ,

2- एक अदद नाक की फुरुहरी पीली धातु व 1250 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1- उ0नि0 बाँक बहादुर सिंह मय हमराह थाना- कप्तानगंज, आजमगढ़।